



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 10 दिसम्बर, 2020

अग्रहायण 19, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-1

संख्या 2349/9-1-2020-05 टी0ए0-20

लखनऊ, 10 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-380

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, जिस अधिसूचना को जारी करने का प्रस्ताव करती हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार जनसामान्य की सूचना के लिए और उसके संबंध में आपत्तियाँ या सुझाव आमन्त्रित किये जाने की दृष्टि से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

2. प्रस्तावित अधिसूचना के संबंध में, आपत्तियाँ या सुझाव, यदि कोई हों, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-1, बापू भवन, लखनऊ को सम्बोधित करके लिखित रूप में प्रेषित किये जाने चाहिए। केवल उन्हीं आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जायेगा जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर प्राप्त होंगे।

अधिसूचना का प्रारूप

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल क्षेत्र की जनसंख्या, उनमें जनसंख्या घनत्व, स्थानीय प्रशासन के लिए जनित राजस्व, कृष्येतर कार्यकलापों में नियोजन के प्रतिशत और आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करती हैं कि स्थानीय क्षेत्र, जिसकी सीमायें नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, भारत का संविधान के भाग नौ-क के प्रयोजनार्थ संक्रमणशील क्षेत्र होगा और उक्त संक्रमणशील क्षेत्र के लिए एक नगर पंचायत का गठन किया जायेगा, जिसे नगर पंचायत हीरागंज बाजार, जिला प्रतापगढ़ के रूप में जाना जायेगा।

## अनुसूची-1

नगर पंचायत-हीरागंज बाजार, जिला-प्रतापगढ़ का प्रादेशिक क्षेत्र :-

क्रमांक	दिशा	ग्राम का नाम	सीमावर्ती गाटा संख्याओं का विवरण
1	2	3	4
1	पूर्व	फतूहाबाद	747, 855, 992
2	पश्चिम	ऐंधा	90, 91, 370, 371, 372, 373, 375
		वजीरपुर	1, 6, 9, 165, 66, 67, 62, 61, 60, 59, 58, 8, 7, 6
		गोगहर	1, 2, 3, 4, 5, 12, 18, 19, 29
3	उत्तर	बासूपुर	1, 16, 19, 28, 29, 30, 32, 34, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 351, 352, 353, 363, 364, 365, 366, 381, 382, 383, 384, 385, 419, 417, 418
		जगापुर	303, 307, 310, 372, 373, 376
		बलीपुर	1, 2, 10, 11, 27, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 81, 92, 94, 95, 125, 144, 146, 147, 254, 172, 174
		बहोरिकपुर	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 318, 323, 332, 334, 336, 337, 338, 339, 340, 345, 432, 709, 710, 711
4	दक्षिण	ऐंधा	1806, 1807, 3433, 3438, 3439, 3440, 3462, 3463, 3499, 3513, 3514
		काजीपुर गुलाम जाफर	200, 199, 198, 201, 202, 197, 203, 204, 205

## अनुसूची-2

नगर पंचायत हीरागंज बाजार, जिला-प्रतापगढ़ का क्षेत्र :-

क्रम-संख्या	ग्रामों/ राजस्व ग्रामों का नाम	सम्मिलित किया जाने वाला क्षेत्र
1.	ऐंधा	सम्पूर्ण क्षेत्र (987.718 हेक्टेयर)
2.	जगापुर	सम्पूर्ण क्षेत्र (121.720 हेक्टेयर)
3.	बहोरिकपुर	सम्पूर्ण क्षेत्र (428.871 हेक्टेयर)
4.	बलीपुर	सम्पूर्ण क्षेत्र (119.794 हेक्टेयर)
5.	फतूहाबाद	सम्पूर्ण क्षेत्र (306.125 हेक्टेयर)
6.	वजीरपुर	सम्पूर्ण क्षेत्र (229.206 हेक्टेयर)
7.	काजीपुर गुलाम जाफर (टिकरिया बुजुर्ग आंशिक)	सम्पूर्ण क्षेत्र (59.951 हेक्टेयर)
8.	गोगहर आंशिक	आंशिक क्षेत्र (122.772 हेक्टेयर)

आज्ञा से,  
दीपक कुमार,  
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2349/IX-1-2020-05 T.A.-20, dated December 10, 2020 :

No. 2349/IX-1-2020-05 T.A.-20

*Dated Lucknow, December 10, 2020*

The following draft notification which the Governor proposes to issue in exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution of India read with section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P.Act no-II of 1916) is hereby published for the information of the general public and with a view to inviting objections or suggestions in respect thereof as required under sub-section (1) of section 4 of the said Act.

2. Objections or suggestions, if any, with respect to the proposed notification should be sent in writing addressed to the Pramukh Sachiv, Uttar Pradesh Shasan, Nagar Vikas Anubhag-1, Bapu Bhawan, Lucknow. Only such objections and suggestions shall be taken into consideration as are received within fifteen days from the date of publication of this notification in the *Gazette*.

**Draft Notification**

In exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution of India read with section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P.Act no-II of 1916), the Governor having regard to the population of the area, the density of population therein the revenue generated for the local administration, the percentage of employment in non-agricultural activities and the economic importance, is pleased to specify that the local area the limits of which is specified in the Schedule-1 and Schedule-2 below, shall be a transitional area for the purpose of Part IX-A of the Constitution of India and there shall be constituted for the said transitional area a Nagar Panchayat to be known as Nagar Panchayat Hirananj Bazaar in District Pratapgarh.

**SCHEDULE-1**

Territorial Area of Nagar Panchayat Hirananj Bazaar, District Pratapgarh:-

Sr. No.	Direction	Name of Village	Gata No. of Boundary
1	2	3	4
1	East	Fatoohabad	747, 855, 992
2	West	Aindha	90, 91, 370, 371, 372, 373, 375
		Wajirpur	1, 6, 9, 165, 66, 67, 62, 61, 60, 59, 58, 8, 7, 6
		Goghar	1, 2, 3, 4, 5, 12, 18, 19, 29
3	North	Basupur	1, 16, 19, 28, 29, 30, 32, 34, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 351, 352, 353, 363, 364, 365, 366, 381, 382, 383, 384, 385, 419, 417, 418
		Jagapur	303, 307, 310, 372, 373, 376
		Balipur	1, 2, 10, 11, 27, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 81, 92, 94, 95, 125, 144, 146, 147, 254, 172, 174
		Bahorikpur	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 318, 323, 332, 334, 336, 337, 338, 339, 340, 345, 432, 709, 710, 711
4	South	Aindha	1806, 1807, 3433, 3438, 3439, 3440, 3462, 3463, 3499, 3513, 3514
		Kajipur Gulam Jafar	200, 199, 198, 201, 202, 197, 203, 204, 205

## SCHEDULE-2

Area of Nagar Panchayat Hiraganj Bazaar in District Pratapgarh :-

Sr. No.	Name of Villages/ Revenue Villages	Included Area
1.	Aindha	Total Area (987.718 Hec.)
2.	Jagapur	Total Area (121.720 Hec.)
3.	Bahorikpur	Total Area (428.871 Hec.)
4.	Balipur	Total Area (119.794 Hec.)
5.	Fatoohabad	Total Area (306.125 Hec.)
6.	Wajirpur	Total Area (229.206 Hec.)
7.	Kajipur Gulam Jafar(Tikariya Bujurg Partial)	Total Area(59.951 Hec.)
8.	Goghar Partial	Partial Area (122.772 Hec.)

By order,  
DEEPAK KUMAR,  
*Pramukh Sachiv.*

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 461 राजपत्र-2020-(1003)-599+50=649 प्रतियाँ (क०/टी०/ऑफसेट)।